

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0-01/स्था0-26-16/2024-

23

पटना, दिनांक- 17.01.2025

कार्यालय आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 23(i) में निहित प्रावधानानुसार धारा-19 एवं 20 के अनुपालन हेतु शिकायत प्रतितोष अधिकारी के स्तर से निष्पादित होने वाले कार्य करने के निमित्त प्रशाखा-32 को सम्बद्ध किया जाता है।

2. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(बिनय कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-01/स्था0-26-16/2024-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव-1 (प्रबंधन)-सह-विभागीय शिकायत प्रतितोष अधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-32, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-01/स्था0-26-16/2024-

पटना, दिनांक- 17.01.2025

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता IT, WRD IT Centre / IT Manager, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

16/1/25
25-1-25